न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 05/2024 निर्णय दिनांक 28.04.2025

जीसीएमएस नम्बर 2024/6

रमेश जाखड़ पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी इन्दपालसर हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व, श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 75, 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान, खसरा नम्बर 40/20 तादादी 4.0900 हैक्टेयर रोही चक इन्दपालसर हीरावतान में स्थित है वादी के पिता मोहनराम के फौत होने के वाद जब राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम रमेश जाखड़ की जगह रामनिवास दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश जाखड़ था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम रामनिवास लिख दिया जबकि वादी का नाम रमेश जाखड़ दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज रमेश जाखड़ नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेश जाखड़ की जगह रामनिवास दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में रमेश जाखड़ होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम रमेश जाखड़ दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम रामनिवास दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही इन्दपालसर हीरावतान एवं चक इन्दपालसर हीरावतान के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का [illegible] श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्यायशुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर [illegible] से आदेश फरमानें की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान, खसरा नम्बर 40/20 तादादी 4.0900 हैक्टेयर रोही चक इन्दपालसर हीरावतान में रामनिवास की जगह रमेश जाखड़ घोषित किया जावें

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान, खसरा नम्बर 40/20 तादादी 4.0900 हैक्टेयर रोही चक इन्दपालसर हीरावतान में रामनिवास की जगह रमेश जाखड़ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में रमेश व अमरी देवी के शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज 1 से 8 प्रदर्श करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान, खसरा नम्बर 40/20 तादादी 4.0900 हैक्टेयर रोही चक इन्दपालसर हीरावतान में रामनिवास की जगह रमेश जाखड़ घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:56 IST
Reason: SelfAttested